अवनीश कुमार अवस्थी
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव,
एवं महानिदेशक

पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन भवन,
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन
सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010 (उ०प्र०)

संख्या–1856 / कुम्भ–इलाहाबाद–2019 / 2018 ::

दिनांक–20 सितम्बर,2018

मैसर्स बॉबी टेण्ट हाऊस,
तृतीय–सी0 रोड,
सरदारपुरा, जोधपुर
राजस्थान।

कुम्भ मेला–2019 इलाहाबाद मे आने वाले श्रद्वालुओं / पर्यटकों के उपयोगार्थ निजी उघमियों के माध्यम से 5000 नग स्विस काटेज / टैण्ट कालोनी विकसित कराये जाने हेतु प्राप्त ई0 निविदा के अन्तर्गत ब्लॉक बी0–3 ए. एवं बी0–3 बी. में स्विस काटेज की स्थापना हेतु आपकी फर्म की दरें उच्चतम पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या–1400 / 2018, दिनांक–10.08.2018 एवं आदेश संख्या–1401 / 2018, दिनांक–10.08.2018 के माध्यम से लेटर आफ एवार्ड निर्गत करते हुये अपेक्षा की गई थी कि स्वीकृति निविदा लागत की 25 प्रतिशत धनराशि एवं 02 प्रतिशत परफारमेंस. गारण्टी एक सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 पर्यटन निगम में जमा कराते हुये नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित करना सुनिश्चित करें। तद्क्रम में आप द्वारा अपरिहार्य कारणोंवश निर्धारित समय में धनराशि जमा करने हेतु असमर्थता व्यक्त करते हुये अपने ई0मेल पत्र दिनांक–21.08.2018 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि उक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु 12 से 15 दिन का समय दिया जाये, जिसके कम में आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या–1551 / कुम्भ / 2019 / 2017–18, दिनांक–27 अगस्त, 2018 के माध्यम से उक्त धनराशि अनिवार्य रूप से जमा किये जाने हेतु दिनांक–04.09.2018 तक का समय प्रदान किया गया। उपर्युक्त धनराशि दिनांक–04.09.2018 तक न जमा करने की दशा में आपको लगातार दूरभाष पर सम्पर्क किया गया अधिकतर आप द्वारा कॉल रिसीव नहीं किये गये, केवल एक बार आप द्वारा कॉल रिसीव किया गया, जिस पर वार्ता के अनुसार आप द्वारा दिनांक–05.09.2018 तक धनराशि जमा करने का आश्वासन दिया गया। आप द्वारा दिनांक–05.09.2018 तक धनराशि न जमा करने की दशा में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या–1680 / कुम्भ–2019 / 2018, दिनांक– 06.09.2018 के माध्यम से उपर्युक्त धनराशि दिनांक–10.09.2018 के सांय 5.00 बजे तक जमा करने के निर्देश दिये गये एवं यह भी इंगित किया गया कि निर्धारित तिथि / समय तक धनराशि जमा न करने की दशा में आपको आवंटित लेटर ऑफ एवार्ड निरस्त करते हुए आप द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। आप द्वारा दिनांक–10.09.2018 की सांयकाल 4.47 बजे प्रेषित ई–मेल पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि भारत बन्द होने के कारण आप दिनांक–10.09.2018 को आने में असमर्थ हैं, तथा दिनांक–11.09.2018 को निर्धारित धनराशि जमा करते हुए अन्य औपचारिकताए पूर्ण करेंगे। दिनांक–11.09.2018 को सांयकाल लगभग 06.00 बजे आप इस कार्यालय में उपस्थित हुए एवं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आप द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप प्रत्येक दशा में दिनांक–12.09.2018 तक सम्बन्धित धनराशि जमा करते हुए अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे। आप द्वारा अपने कथनानुसार दिनांक–12.09.2018 तक उपर्युक्त धनराशि इस कार्यालय में जमा नहीं करायी गयी। आप द्वारा दिनांक–13.09.2018 को अपरान्ह 1.12 बजे ई–मेल पत्र प्रेषित करते हुए दिनांक–17.09.2018 तक धनराशि जमा करने का समय मांगा गया। दिनांक–19.09.2018 की सांयकाल 5.00 बजे तक आप द्वारा आवंटित ब्लॉक बी–3ए एवं बी–3बी हेतु वॉछित धनराशि जमा नहीं की गयी एवं अनुबन्ध भी निष्पादित नहीं किया गया तथा अनेकोबार मोबाइल पर इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क करने पर कॉल रिसीव भी नहीं की गयी।

अवनीश कुमार अवस्थी
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव,
एवं महानिदेशक

पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन भवन,
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन
सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010 (उ०प्र०)

कुम्भ इलाहाबाद–2019 के आयोजन के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले श्रद्वालुओं/पर्यटकों की सुविधार्थ उ0प्र0 पर्यटन द्वारा निजी सहभागिता के माध्यम से उक्त महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत स्विस काटेज की स्थापना का कार्य कराया जाना था । उपरोक्तानुसार अनेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा उ0प्र0 पर्यटन विभाग को दिग्भ्रमित किया जाता रहा जिसके कारण कुम्भ के कार्यो में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यदि आपकी फर्म को स्विस काटेज की स्थापना मे रूचि नही ली जानी थी तो ऐसी दशा में आपको ई0–निविदा में प्रतिभाग नहीं किया जाना चाहिये था । आपके उक्त कृत्यों से उ0प्र0 पर्यटन की छवि धूमिल हुई है साथ ही उ0प्र0 सरकार की उक्त वृहद महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है । आप द्वारा किये गये उक्त व्यवहार को गम्भीरता से लेते हुये आपकी फर्म को निर्गत लेटर आफ एवार्ड संख्या–1400/2018, दिनांक–10.08.2018 एवं आदेश संख्या–1401/2018, दिनांक–10.08.2018 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुये निविदा के साथ जमा की गई अर्नेस्ट मनी धनराशि रू0–5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) जब्त किया जाता है ।

भविष्य मे सरकार की अन्य महत्वकांक्षी योजनाओं/आयोजनों मे आपकी फर्म मेसर्स बॉबी टेण्ट हाऊस, तृतीय–सी0 रोड, सरदारपुरा, जोधपुर राजस्थान प्रतिभाग कर पुनः सरकारी कार्यो मे व्यवधान उत्पन्न न कर सके, के दृष्टिगत आपकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है।

(अवनीश कुमार अवस्थी)

पृ0प0स0:– /कुम्भ–2019/2018 :: समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार ।
2. समस्त प्रदेशों के सचिव, पर्यटन ।
3. समस्त प्रदेशों के पर्यटन निगम/पर्यटन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. प्रभारी–कम्प्यूटर सेल को इस आशय से कि उक्त पत्र को बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

(अवनीश कुमार अवस्थी)

कार्यालय : 91-522-2308993
फैक्स : 91-522-2308937

उत्तर प्रदेश पर्यटन
यू.पी. नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा

वेबसाईट : http://www.uptourism.gov.in
ई–मेल : dg.upt1@gmail.com